

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

पत्रांक:- 17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2018/789

दिनांक: 26.09.2018


कार्यालय ज्ञाप

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 18.07.2018 द्वारा उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु शासन स्तर तथा विभाग के अधीन स्थापित निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 18.07.2018 द्वारा उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर पदाभिहित अधिकारी, मण्डल स्तर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं महानिदेशालय स्तर पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी निम्न रूप से सम्यक् विचारोंपरान्त एतद्वारा नामित किया जाता है।

1. पदाभिहित अधिकारी (नोडल)
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी


मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक/अधीक्षिका
समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक
निदेशक, (नियोजन एवं बजट), स्वास्थ्य भवन,
लखनऊ।


O/C महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक:- 17फ/नि0नि0ब0/कैम्प/2018/790-93 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव/अपर मुख्य सचिव/लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के पत्र दिनांक 18.07.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।


निदेशक, (नियोजन एवं बजट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उ0प्र0 लखनऊ।